न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2026(GCMS 2026/60)
(RTI No. 21292376401639)

श्री अरविन्द जोशी निवासी 1130 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नं. 04 के सामने वाली गली, पुरानी आबादी, वार्ड संख्या 18, श्रीगंगानगर

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर – **राजस्व शाखा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अरविन्द जोशी स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई, इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री अरविन्द जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 01 बिन्दु की सूचना चाही थी :

> पुरानी आबादी में पूर्व तहसील परिसर की जगह को जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 12.03.1982 को फ्रैन्डस सिनेमा बनाने की डीड की गई, बाद में इसको सुखवन्त सिनेमा स्वीकृत नक्शा अनुसार सिनेमा बनाने लाईसेंस दिया गया, स्वीकृत नक्शा व रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1572 दिनांक 23.03.2026 से अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर – राजस्व शाखा को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपील के साथ लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति शामिल की है, जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा प्रस्तुत सूचना आवेदन पत्र में वांछित सूचना के संबंध में पत्र/आदेश/पत्रावली का विवरण अंकित नहीं होने एवं वांछित सूचना वर्ष 1982 की होने के कारण पत्रावली तलाश किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने एवं सूचना प्रकटन में कोई जनहित नहीं होने के कारण, आप द्वारा चाही गई सूचना देय नहीं है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत सूचना आवेदन पत्र को दाखिल दफ्तर किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा सिनेमा का लाईसेंस और नक्शा की प्रति चाही है, जो जनता से जुडी हुई संस्था है, जो गोपनीय दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते है। लेकिन अपवाद के रूप में धारा 8(1)(j) के रूप में यदि नक्शें में कोई ऐसी तकनीकी या गोपनीय जानकारी है तो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, तो ऐसी जानकारी को छिपाकर शेष जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को मामला इस निर्देशित किया जाता है कि** निर्णय प्राप्त होने के 01 माह में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तालाश कर, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार उन्हें उपलब्ध करवाई जावे। **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर – राजस्व शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:16 IST
Reason: SelfAttested